FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

अब्दुल रहमान वगैरा. **बनाम** **सरकार**

किस्म मुकदमा 152 सी.पी.सी. **मु.नं** 2/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर** 2025/01

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत विरूद्व अप्रार्थी के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुनी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया था। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरान् में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय खसरा नम्बर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा भूल से टंकण करने से रह गया। इसलिए उक्त निर्णय में ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा भूमि की खातेदारी हेतु घोषित करने का संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के निर्णय एवं डिकी में सहवन से ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 361 रकबा 6–12 बीघा टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 90/2024 अनवान अब्दुल रहमान वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 22.12.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम जोड़ के खसरा नम्बर 361 रकबा 6–12 बीघा के स्थान पर ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) 09/01/25 (सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

अब्दुल रहमान वगैरा. **बनाम** **सरकार**

किस्म मुकदमा 152 सी.पी.सी. **मु.नं** 2/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर** 2025/01

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत विरूद्व अप्रार्थी के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुनी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया था। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरान् में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय खसरा नम्बर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा भूल से टंकण करने से रह गया। इसलिए उक्त निर्णय में ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा भूमि की खातेदारी हेतु घोषित करने का संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के निर्णय एवं डिक्री में सहवन से ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 361 रकबा 6–12 बीघा टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 90/2024 अनवान अब्दुल रहमान वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 22.12.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम जोड़ के खसरा नम्बर 361 रकबा 6–12 बीघा के स्थान पर ग्राम जोड़ के खसरा नंबर 361 रकबा 1–07 बीघा व खसरा नम्बर 362 रकबा 6–12 बीघा पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) 09/01/25 (सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	